(6)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयाल
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 65–तीन/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–09–2003 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 540/अपील/2001–02

.....

1– पदम सिंह आ0 करन सिंह
2– मदन सिंह आ0 करन सिंह
3– भंवरलाल आ0 भारत सिंह
4– सरजन आ0 भारत सिंह
5– कैलाश आ0 भारत सिंह
निवासीगण –ग्राम कण्डारा कोटरी,
तह0 नरसिंहगढ़, जिला–राजगढ़

–––– आवेदकगण

विरूद्ध

1– कंचनबाई पत्नी शिवसिंह चौरसिया
निवासी–ग्राम ग्वाड़ा तह0 सारंगपुर,
जिला–राजगढ़
2– भगवतीबाई पत्नी सिद्धनाथ,
निवासी–परसूखेड़ी तह0 नरसिंहगढ़, जिला–राजगढ़
3– देवबाई पत्नी रमेश चौरसिया
निवासी–पुरानी पचौर, तह0 सारंगपुर, जिला–राजगढ़
4– दुर्गाबाई पत्नी रामचन्दर चौरसिया
निवासी–बकानी तह0 नरसिंहगढ़, जिला–राजगढ़

–––– अनावेदकगण

.....

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री धीरेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 11/12/14 को पारित)

यह निगरानी का आवेदक व्दारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के अन्तर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग, द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–09–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदिकागणों द्वारा दिनांक 07.12.2001 को नायब तहसीलदार (वृत–बोड़ा) तहसील नरसिंगढ़ के समक्ष संहिता की धारा 109/110 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कण्डारा कोटरी में स्थित भूमि सर्वे नं0 कुल किता 11 कुल रकबा 4.795 है0 लगानी 37.39 पर मृतक पिता फतेहसिंह आ0 रतनसिंह का नाम दर्ज है । उक्त भूमि पर उनका नाम नामांतरण किया जावे । अनावेदिकागणों के आवेदन पत्र पर से प्रकरण कायम किया जाकर इश्तहार जारी किया गया । इश्तहार अवधि में ही आवेदकगणों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई । आवेदकगणों द्वारा आपत्ति प्राप्त होने पर उनका निराकरण करते हुये न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.03.2002 को अनावेदकगणों को वैध वारिसान मानते हुये आवेदन पत्र स्वीकार कर नामांतरण आदेश दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2002 के विरूद्ध आवेदकगणों द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी नरसिंगढ़ के समक्ष पेश की जो प्रकरण क्रमांक 35/अ–6/2001–02 पर दर्ज होकर दिनांक 17.06.2002 को निरस्त की गई तथा नायब तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखा । अनुविभगीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2002 से असंतुष्ट होकर आवेदकगणों द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल द्वारा प्रकरण क्र0 540/अपील/2001–02 की जाकर दिनांक 25.09.2003 को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित नामांतरण आदेशों को उचित एवं वैधानिक मानते हुये आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील निरस्त कर दी गई । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.20002 से परिवेदित होकर आवेदकगणों द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह बताया है कि अनावेदिकागण ने निम्न न्याया0 में ग्राम कण्डारा कोटरी में स्थित भूमि सर्वे नं0 कुल किता 11 कुल रकबा 4.795 है0 लगानी 37.39 पर नामांतरण किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थी द्वारा आपत्ति लेते हुये व्यक्त किया की उक्त भूमी की वसीयत मृतक द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित की है, किन्तु किसी कारण वश मूल वसीयत पेश न हो सकी ओर प्रार्थी का नामांतरण अस्वीकृत कर दिया गया । वसीयत

पेश न होने का आधार लेते हुये नामांतरण अस्वीकृत करने वाला आदेश विधि विरूद्ध है जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थिर रखने में भूल की है । अधीनस्थ न्यायालयों ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 की तरफ ध्यान न देते हुये अपना आदेश पारित किया है, जबकि धारा में स्पष्ट है कि द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जाना चाहिये था । ऐसी दशा में पारित आदेश निरस्ती योग्य है । लिखित तर्क में यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्य के विपरीत जाकर अपना आदेश एकपक्षीय मत बनाते हुये पारित किया है । अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा नायब तहसीलदार (वृत–बोड़ा), अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त के आदेश को विधिअनुकूल बताते हुये उसे स्थिर रखे जाने का निवेदन करते हुये निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख गुम हो जाने से उनका अवलोकन नहीं किया जा सका । लेकिन विभिन्न न्यायालयों के आदेशों की छायाप्रतियां उपलब्ध हुई जिनका अवलोकन किया गया । राजस्व न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में वारिसान आधार पर अनावेदकों का नामांतरण किया गया है । व्यवहार वाद अपील क्र0 7/अ/2008 में द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश नरसिंहगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2005 में भी वसीयत को प्रमाणित नहीं माना गया है तथा आवेदकों का दावा अमान्य किया गया है । व्यवहार न्यायालय के उक्त निर्णय के प्रकाश में राजस्व न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष विधिक आधारों पर पारित होना स्थापित होता है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर